





जयप्रकाश कुमार २५
 ३३३ ६०२, वि. कुशीमठ
 २०५ - देम, वि. कुशीमठ
 जिला - जयपुर
 सन्निधान क्र १०७०
 २५/०३/२२



जयप्रकाश कुमार २५
 ३३३ ६०२, वि. कुशीमठ
 २०५ - देम, वि. कुशीमठ
 जिला - जयपुर
 सन्निधान क्र १०७०
 २५/०३/२२




जयप्रकाश कुमार २५
 ३३३ ६०२, वि. कुशीमठ
 २०५ - देम, वि. कुशीमठ
 जिला - जयपुर
 सन्निधान क्र १०७०
 २५/०३/२२

किस्म दस्तावेज लीज डीड

- उम्र - ३० वर्ष
- गाँव - भगीरथपुर परगना - कटिकाबर महोत्तम - बलानिधी जिला - गजपूर
- खाल रक - ००११८
- गांदा रक - ६२
- कावा - ०.०२३० हे० में से ०.०२०० हे० (६०० वर्गमीटर)
 (जिले के ताल में कवर लिखित है। जिले ३० वर्गमी लीज पर दिया।)
- चौदरी - फूल - खरीद करती है।
- पतिवत - बचतगार
- पत्नी - शोचन करके रखी है।
- दत्त - शोचन रक

डिप्टी कमिश्नर




डिप्टी कमिश्नर




डिप्टी कमिश्नर





शारदा नन्द राव पुत्र
 ६०५ वि. न. प्र. मा. च. ल. राव
 २२०० देवा. पी. वि. पुणे
 जिल्हा - सांगली
 सुविधानं ६०५
 २२/०७/१२



अनन्त नंद राव पुत्र
 १११२ वा. वि. न.
 २२०० देवा. पी. वि. पुणे
 जिल्हा - सांगली
 सुविधानं ६०५
 २२/०७/१२




जीरात वार्षिक सामांश— 1,20,000 /— (समय एक साल जीरा उजार मात्र)
 मालियत— निर्धारित जीरात वार्षिक किराया के छ गुना की रकमा
 72,00,000 /— रु० (सत्तार एकट की अनुसूची-1 के अनुच्छेद
 25 के अनुसार दिख गता है।
 अता ई-पटाप- 14,400 /—

प्रथम पक्ष (लीज डीर दाता)— भूमि मालिक— मड लीजडीर मिलेय 30 वर्षीय संजय
 कुमार राय पुत्र स्व० विन्ध्यावल राय निवासी ग्राम-देवा, पीठ-दुस्सापुर,
 परगना-सादियानाद, सहसूल-जखनिवा, जलपद-गाजीपुर (2000) एवं कुम्हारना पुत्र
 स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम-देवा, पीठ-दुस्सापुर, परगना-सादियानाद,
 सहसूल-जखनिवा, जलपद-गाजीपुर (2000) जिन्हें एतदपक्षगत भूमि मालिक कहा गया
 है। प्रथम पक्ष

बादक व बनाम

द्वितीय पक्ष (लीज डीर ग्रहिता)— श्री सुद संलिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट
 द्वारा प्रबंधक संजय कुमार राय पुत्र स्व० विन्ध्यावल राय निवासी ग्राम-देवा,
 परगना-सादियानाद, सहसूल-जखनिवा, जलपद-गाजीपुर (2000) जिसे एतदपक्षगत
 लीज डीर ग्रहिता कहा गया है। द्वितीय पक्ष के बीच निर्मित एवं निष्पादित किया गया
 है।

डॉ. सुंजय कुमार राय



श्री सुद संलिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट



डॉ. सुंजय कुमार राय



आवेदन सं. 202200047002765

भूदाता विवेक/कब्रिस्तान

पत्र सं. :

रजिस्ट्रेशन सं. 2014

वर्ष 2022

प्लॉट सं. 120000 मापन कुल- 14400 मजारी कुल- 6 पलीकन कुल- 720
अतिरिक्त कुल- 80 बीघा : 800

वी. कुलकर्णी **सुदामा शर्मा**

पुत्र वी. शशीधर शर्मा

जन्म सं. 02/01/1948

पिता वी. शशीधर शर्मा


जयपुर जिला मजरी

वे का निवास वी. शशीधर

वे दिनांक 04/01/2022 पर

अपना मध्यम

निवास देण्डा देण्डा



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


अमित कुमार शर्मा
उप निबंधक (अतिरिक्त)
मजरी
जयपुर

दिनेश कुमार शर्मा
निबंधक (अतिरिक्त)
04/01/2022

विहित ही कि हम प्रथम पक्षान-भूमि मालिक मिलकर नाम व पता लीज डीड विलेख को उपरोक्त में विवरण सहित अंकित किया गया है तथा जिन्हें एतदनुषांग भूमि मालिक कहा गया है, लीजडिड विलेख में अंकित उपरोक्त विवरण वाली भूमि का मालिक व अधिपत्यमानी हूँ। उपरोक्त विवरण वाली भूमि पूर्व में ही अधिपत्यमानी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-143 के तहत अधिधिक घोषित है, जो 5906 वर्गमीटर है जिसे लीज पर देने का हम भूमि मालिक पूर्व अधिकार प्राप्त है। जो हम समय अवकाश प्राप्त से प्राप्त व साफ है। द्वितीय पक्ष-एक ट्रस्ट (न्यास) है जो शिक्षण संस्थान चलाएगा चाहते हैं। द्वितीय पक्ष ने हम प्रथम पक्ष से उपरोक्त विवरण वाली भूमि को लीज पर देने के लिए इस्तादुजा किया। द्वितीय पक्ष की इस्तादुजा को हम प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया तथा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त विवरण वाली भूमि को लीज पर देने के लिए तैयार हो गये। लीज की शर्त निम्नलिखित है।

1. यह कि हम प्रथम पक्षान-उपरोक्त लीज पर दी जा रही भूमि का नियमानुसार स्वामी अधिपत्यमानी व मालिक काबिल है तथा द्वितीय पक्ष एक ट्रस्ट (न्यास) है जो उक्त विवरण वाली भूमि में अपने शिक्षण कार्य चलावेगा जिसे द्वितीय पक्ष लीज डीड पहिला कहा गया है।
2. यह कि लीज डीड विलेख में अंकित उपरोक्त विवरण वाली भूमि का वार्षिक लामांश 120,000/- होता है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष लीज वाली भूमि पर शिक्षण संस्थान चलावेगा तथा अपने संस्थान के प्रचार-प्रसार हेतु जरामे अपना बोर्ड इत्यादि लगावेगा तथा स्कूल सम्बन्धी कलास

डॉ. राजेश कुमार



डॉ. राजेश कुमार



डॉ. राजेश कुमार



अवेदन सं- 202200187002/23


वर्ष सं- 1 तालिका सं- 2274 वर्ष 2023

विशेषज्ञ लेखक बल सुनी व कृषिज्ञों सहित व राज्य पंचायति व
परिषदों द्वारा

प्रमाण सं- 1

श्री सुनी, पुन की सं-
विशेषज्ञ
विशेषज्ञ लेखक बल सुनी व
कृषिज्ञों सहित व राज्य पंचायति व
परिषदों द्वारा



...



प्रमाण सं- 2


श्री सुनी, पुन की सं-
विशेषज्ञ
विशेषज्ञ लेखक बल सुनी व
कृषिज्ञों सहित व राज्य पंचायति व
परिषदों द्वारा

...



श्री सुनी, पुन की सं-
विशेषज्ञ
विशेषज्ञ लेखक बल सुनी व
कृषिज्ञों सहित व राज्य पंचायति व
परिषदों द्वारा


...



रुम एवं आफिस बनावेगा। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपने संस्थान को दिए गे जो भी आवश्यक कार्य ही उसे करे।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस लीज डीड को रिया विभाग में आवस्यकता पड़ने पर उम्मीदवारियों के समा प्रस्तुत करे तथा विद्यालय सम्बन्धी माग्घता इत्यादि प्राप्त करे एवं जहाँ-जहाँ भी इसकी आवस्यकता पड़े दस्तावेज लीज डीड को भेज करे।
5. यह कि द्वितीय पक्ष आवस्यकतानुसार इसमें निर्भोग कार्य भी कर सकता है।
6. यह कि लीज डीड विलेज में अतिरिक्त उपरोक्त विवरण वाली भूमि को वास्तु मालिकाना अधिकार मात्र द्वयम पक्ष के पास ही सुरक्षित रहेगा। द्वितीय पक्ष को इसको अन्तारण करने का कोई एक हक प्राप्त नहीं होगा।
7. यह कि भारत को किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सम्बर्न में कोई विधिक कार्यवाही सम्भित नहीं है जो कि उक्त सदन को देने व लेने में बाधक हो।
8. यह कि यह लीज दिनांक 04.07.2022 से 30 वर्षों हेतु अवरिचलनीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार लीज को जाने की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।
9. यह कि उक्त भूमि पर लीज की दिवि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी/गैर सरकारी / कर्षितगत वितीय देनदारिता होम नहीं है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाध से मुक्त एवं पाक पाक है।

Dr. H. J. K. K. K.



Dr. H. J. K. K. K.




Dr. H. J. K. K. K.




से विभाजन सीमा जिला। निचली मजदूर
सहकारकर्ता : 1

श्री राजचन्द्र राय, पुत्र श्री
विन्ध्यराज राय
निवासी: टंडा गा-रा-बाद
राज-उदयपुर जिला गजपट्ट
व्यवसाय: कृषि आटा मंदारण
सहकारकर्ता : 2



श्री अमरचंद्र पाटील, पुत्र श्री राम-
आल पाटील
निवासी: टंडा गा-रा-बाद
राज-उदयपुर जिला गजपट्ट
व्यवसाय: कृषि आटा मंदारण



सीमांकन अधिकारी के द्वारा

से श्री। प्रचारातः सदसियों के
निदान अंगुठी निदानानुसार जिला
गा है।
दिनांक 04/07/2022

अमित कुमार सिंघाणिया
उप निबंधक जयपुर
गजपट्ट
04/07/2022

जिला संचालक निबंधक
निबंधक सिंधिया
04/07/2022



दिनांक

10. यह कि द्वितीय पक्ष उचित भूमि पर औद्योगिक संस्थान को संचालन के रूप में भवन निर्माण एवं सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
11. यह कि तीसरा पक्ष पहिला द्वितीय पक्ष तीसरे की लिफ्ट से एवं उसके बाद तीसरे की अवधि में उचित सम्पत्ति से सम्बंधित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं ताल्लम होगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष उचित भूमि पर आवश्यकता पडने पर निर्माण कर सकता है। औद्योगिक संस्थान (D.Pharm) से सम्बंधित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकता है।

डॉ. चंद्रशेखर राव



डॉ. चंद्रशेखर राव



डॉ. चंद्रशेखर राव





जो एम प्रथम प्रथम भूमि बलिष्ठ कृषि क्षेत्र समुदाय सदस्यी व मजदुरी
 कर्मचारी एवं सार्वजनिक एवं मजदुरी कर्मचारी में का लीज डीट विवेक कायम व
 प्रथम द्वितीय का लीज डीट प्रथम का विवेक विवेक कि प्रथम का काम करे व लीज
 को। इससेवक का प्रथम कोटे का विवेक उपस्थित कर्मचारी का जो का विवेक का है। जो
 सब एवं सही है।

तारीख दिनांक - २५/०७/२०१८

साविताका: उममप्रकाश भारद्वाज एम
 २५/०७/२०१८

शिवराम कुमार
 (निदेशक)
 टंकगकर्ता
 गाजीपुर।

पता:-

1. शर्मा जय राम पुत्र स्व. वि. कानन लाल
 1. अ०-देवा, पो०- कुल्लुवाड, पटना-
 आरिफाबाद, हरसील - प्रथमिका बिला - गाजीपुर
2. अमलजय मोहन पुत्र एम आर मोहन
 अ० देवा, पो०- कुल्लुवाड, पटना- आरिफाबाद
 एम - आरिफाबाद, बिला - गाजीपुर

इच्छापूर्वक

इच्छापूर्वक

इच्छापूर्वक



आवेदन सं०: 202200987002765

बही संख्या । जिल्द संख्या
2720 के पृष्ठ 365 से 386 तक
क्रमांक 2274 पर दिनांक
04/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया
गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर-


अनिल कुमार तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर
04/07/2022



३० अक्टूबर १९५४
 श्री राजेश चंद्र भांडारी
 श्री राजेश चंद्र भांडारी
 श्री राजेश चंद्र भांडारी
 श्री राजेश चंद्र भांडारी

मूल्य: १००००/-
 मूल्य: ११९०००/-

एक निम्नलिखित पंजीकृत वस्तु रूप का वही
 १००००/- २०/- १००००/- ६००
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर



श्री राजेश चंद्र भांडारी
 १९५४




श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर

श्री राजेश चंद्र भांडारी के नाम पर
 १९५४

श्री राजेश चंद्र भांडारी

श्री राजेश चंद्र भांडारी

श्री राजेश चंद्र भांडारी



श्री राजेश चंद्र भांडारी
 १९५४




सना प्रेषित UYEAR PRADESH

5 664024

1. उत्तर-खेत विक्रेता
 2. दफ्तर-खेत राधे
 3. प्रतिफल का धनराशि - 50000/-
 4. का भारी मालिगान - 95,92,000/-
 5. निर्धारित दर मातृ डे 5000/-
 6. दो सड़की के प्रमाण कार्ड का धूम पर
 7. श्शं कृई - नहीं
 8. विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं।
 9. देय स्तम्भ - 65040/-
 10. प्रथम पक्ष - रामचन्द्र पाण्डेय पुत्र
 11. सखरज ग्राम देवा पोस्ट दुल्हपुर
 12. परगना शाहीबाद तहसील जलमिया
 13. जिला गाजीपुर

रामचन्द्र पाण्डेय



सुखरज



Handwritten text in Devanagari script, likely a title or introductory paragraph.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पचासी हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 664025

द्वितीय पक्ष - श्री रुद्र शिव एच० एन०
एच० के० इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन
देवा, दुल्लहपुर गाजीपुर जिले प्रबंधक
संजय कुमार राय पुत्र श्री विद्याचल
राय ग्राम देवा पोस्ट दुल्लहपुर परगना
शाहीवाबाद तहसील जलौनिया गाजीपुर

हमारे रामचंद्र पांडेय पुत्र
स्वर्जन ग्राम देवा पोस्ट दुल्लहपुर परगना
शाहीवाबाद तहसील जलौनिया गाजीपुर
का हैं। मैं अनुसूचित जाति का नही हूँ।
निवेदन हो गई निम्न लिखित शर्तों पर
। शर्तों हमारे हैं जो प्रत्येक कर देन
के पाक व टाफ तथा लिखित शर्तों पर
नहीं हैं। विक्रय शुद्ध शर्तों के साथ

संजय कुमार राय



संजय कुमार राय



किसी व्यक्ति का

नाम और पता इस पत्र में दर्ज है।
यदि आप इस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं,
तो कृपया इस पता पर संपर्क करें।

आपका विश्वसनीय
साथी,
[Signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AK 390331

5 SEP 1981

पूर्व से कोई इकरानामा नहीं हुआ है। इस
 स्वयं मुझे जो रुपये का आवश्यकता अर्थात्
 का का खर्च खर्च तथा आर्थिक उद्धान
 लिए है जो बिना अपनी शर्तों के बिना
 किने तथा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता।
 अतः मुझे खूब खर्च समझकर प्रस्ता
 अर्थक बिना किसी और व दबाव के व
 अर्थात् रूप 600000 सात लाख रुपये
 अर्थात् अर्ध भाग रूप 3,50,000 तीस लाख
 अर्थात् हजार रुपये होता है वे अर्थात्
 में वहक व वनाम श्री उद्द शिव राव।
 अर्थात् अर्थात् के 0 इन्स लेट्टर आफ
 अर्थात् अर्थात् देवा. दुर्गापुर गाजीपुर
 अर्थात् अर्थात् संजय कुमार राय पुत्र श्री

रजनीश कुमार

रजनीश कुमार



१-१०१/१०१५
 श्री. राजेश कुमार शर्मा
 प्रमुख, जे. ए. ए. ए. ए.
 जे. ए. ए. ए. ए.
 १०-१०/१०१५
 १०/१०/१०१५

१-१०१/१०१५



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹ 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 634712

विष्णुचन्द्रराय ग्राम देवा पोस्ट कुल्लुपुर जिला
 झाड़ियाँ तहसील जयपुरा गिना गाँवपुर से
 वे नाम देवा व विक्रय किया। आज जो लाल
 से विक्रय हुआ आराम से हारा कोई वास्ता सरकार
 तारीख नहीं है। केता से कुल ₹ 600000
 जो एक रुपया पहले ही प्राप्त का फुल है। केता
 को कलकत्ता-दिल्ली रेलम गोरखपुर गेज
 रेलम को उप में कर दिया है। केता हमारे
 धन्य के लक्षण पर अपना विद्या का नाम
 प्राप्त कर आदिपत्र पत्र में आर्कत कर लें,
 मुझे को कोई आवाज नहीं है। शर्त कर
 । मन्त्र में कोई कार वास्तु होके तो उसका

शुभचन्द्रराय

दस्तावेज



दिनांक 10/05/2022
संख्या 10/2022
सर्वोच्च न्यायालय

श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा
श्री. अशोक कुमार शर्मा



६


भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

₹. 10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

328C 634713


सुसुला विमेरार्ड डमतिन मुक लका साथ तिन मुक
। धरु सिगी । इस पाहले यह लखे सिरी पल विहा रया
। लक लमय व कस्त पर काय प्रि व उभाण न दे ।
। वि वहा सुर्से रण्ड सुर्से र्हे जो वि की कर शरी
। खाका मी जा सुर्गे रण वर परणना झा दि य म्पद
। लह ली व लखिया गे का गा जी पुर आरणी
। नम्बर ६६ सरसठ भू न्य हउ प्रले व आठ दो ६

०८२६०
शू-य मे दे रुकवा भू न्य दशम लव दो पांच तीस

०२५३
। यानि रुकवा एक विजा जमा क्दी परलानु लर

१५
। विनय व विक्रय विक्रय । विक्रय शुहा आरणी रदही
। मार्ग जनपदीय मार्ग । लम्बे मार्ग से लगभग १ १/२

राजपदमसिद्ध



संलग्न एकर लव



2343 70 24/07/2012
2222

जयशंकर प्रसाद
संस्कृत विभाग
संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी
2010



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 634714

विज्यामंतर दर व आरणी से लगभग ६००मीटर
 दर है। जिसमे कोई पेड़ कुंभा नहीं है। स्थान
 आरणीनयम की धारा २६ का पूर्णतया व्यवस्था
 पूर्वक अंकन करा दिया गया है। आरणी के वस्त्र
 ३००मीटर विज्या का मान है। वस्त्र
 के पास आरणी देन ले आर पूर्व से गुम जा गयीं
 । आरणी के अजावा १२ १/२ एरर से काफी कम शर्म
 है। विज्या शुद्ध आरणी का अंकन करवाया है।
 । अम की गयीं है। आरणी का अंकीय
 आरणी मापित रूप १५,१८००० है।

समय नु पाठिस

समय नु पाठिस



2347 70 2347
2347



प्रमाणित
श्री श्री
श्री श्री



भारतीय नैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


32AC 634715

। विक्रय शुदा भारती का चौबट्टी पूर्व खेत
। धनरुं देवी पश्चिम-मध्यमार्ग उत्तर
खेत विक्रेता व दक्षिण खेत राधे का हैं।
। मशरिफा कर्ता व कर्ता के निवास (भरमरुदख)
। लखीम जखानिया गांधीपुर तहसील ताटीख
। 98-ई-94 ई

श. राजनरुदख
ज. न. जी. सुरे-कुमरुदख
ग. म. ई. रामा
ह. ल. म. म. म.
मि. म. म. म.

श. राजनरुदख
मि. म. म. म. म.
म. म. म. म. म.
मि. म. म. म.

श. राजनरुदख



श. राजनरुदख



आज्ञा संख्या: 22/2014-1 नं. 94 दि. 20/11/2014
दिनांक: 20/11/2014

उपरोक्त

आज्ञा संख्या: 22/2014-1 नं. 94 दि. 20/11/2014
दिनांक: 20/11/2014

आज्ञा संख्या: 22/2014-1 नं. 94 दि. 20/11/2014
दिनांक: 20/11/2014

(Signature)
अधीक्षक



27

all survey data
 completed for 1940

~~Survey data for 1940~~
 1940



1940



Address
 1940
 1940
 1940

1940	1940	1940	1940
1940	1940	1940	1940
1940	1940	1940	1940
1940	1940	1940	1940

1940



Handwritten text in Devanagari script, including a date "16-9-14" and a signature.

